

# यूको बैंक



# UCO BANK

क्षेत्रीय कार्यालय, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

## बिक्री व नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना

यूको बैंक का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम 2002 ( सरफेसी) की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी करके निम्नलिखित सम्पत्तियों पर अपना कब्जा ले लिया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैंक के बकाय को वसूल करने के लिए जीवें बंधित कर्जदारों/गारंटों को सम्पत्तियों की बिक्री "जैसी है जहाँ है तथा जैसी है जो कुछ है" के आधार पर बिक्री का निर्णय लिया है।

खाल/शाखा का नाम	कर्जदार/गारंटों का नाम (सम्पत्ति के धारता)	चल/अचल सम्पत्ति का विवरण	कब्जों की तिथि	वसूली राशि (रु. में)	आगस्त मूल्य (लाख रु. में)	धरोहर राशि (रु. में)
शाखा जोगिन्दरपुर 01908-224536	श्री सुनील कुमार सुपुत्र जगन नाथ गारंटर श्री अमर सिंह	श्री सुनील कुमार के नाम पर मुहाल जलपेहर परगना जौतपुर, तहसील जोगिन्दरपुर, जिला मण्डो (हि.प्र.) में खाता नं. 147, खतौनी नं. 187 खसरा नं. 733/455 में शामिल भूमि रकबा 0-12-10 बीघा में उपस्थित भूमि व भवन के सभी अतिरिक्त अंग।	30.11.2010	केवल 3,97,300.00 रु. प्लस ब्याज व अन्य प्रभार		
सुपुत्र श्री जगन नाथ 2.मं. राजुल देहिंगा को के स्वामी श्रीमहेश शार्वती पत्नी श्री सुनील कुमार।	श्री सुनील कुमार सुपुत्र जगन नाथ गारंटर श्री अमर सिंह सुपुत्र श्री जगन नाथ श्रीमती श्रीमती स्वामी मं. राजुल देहिंगा को-गारंटर श्री सुनील कुमार	श्री सुनील कुमार के नाम पर मुहाल जलपेहर परगना जौतपुर, तहसील जोगिन्दरपुर, जिला मण्डो (हि.प्र.) में खाता नं. 147, खतौनी नं. 187 खसरा नं. 733/455 में शामिल भूमि रकबा 0-12-10 बीघा में उपस्थित भूमि व भवन के सभी अतिरिक्त अंग।	30.11.2010	केवल 5,67,413.00 रु. प्लस ब्याज व अन्य प्रभार	9,00,000- रु.	90,000/- रु.

नीलामी की निबंधन व शर्त:- 1. ऊपर कथित सम्पत्ति ऊपर वर्णित आरक्षित मूल्य से नीचे नहीं बेची जाएगी। इच्छुक खरीददार/बोलीदाताओं से ऊपर वर्णित आरक्षित मू. का 10% धरोहर राशि के रूप में 20 दिसम्बर, 2016 तक यूको बैंक के पक्ष में देय पे ऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट क्षेत्रीय कार्यालय यूको बैंक धर्मशाला में अदा करना अपेक्षित है। निविदाएं 21 दिसम्बर 2016 को दोपहर 12.00 बजे खोली जाएगी। 2. उच्चतम बोलीदाता को धरोहर राशि को मिला कर बोली राशि का 25% हिस्सा 24 घंटों के भीतर यूको बैंक धर्मशाला के पक्ष में पे ऑर्डर/बैंक ड्राफ्ट के द्वारा जमा करना होगा। इसमें असफल रहने पर जमा की गई धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। 3. बकाया राशि 75% खरीददार द्वारा यूको बैंक द्वारा बिक्री की पृष्ठ होने के 15वें दिन या उससे पहले अदा की जानी चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम प्रस्ताव या सभी प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है तथा उसे बिना किसी कारण बताए किसी या सभी निविदाओं को रद्द या स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। 4. प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम प्रस्ताव या सभी प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है तथा उसे बिना किसी कारण बताए किसी या सभी निविदाओं को रद्द या स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। 5. सफल खरीददार कानून के अनुसार लागू स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण फीस आदि के तौर पर हस्तांतरण विलेख के लिए प्रभार/फीस की अदायगी का वहन करेगा। 6. इच्छुक दल जो प्लेट का निरीक्षण करने के इच्छुक हैं, वो 20 दिसम्बर 2016 को या इसके पहले किसी भी कार्यदिवस को शाखा प्रबंधक से सम्पर्क कर सकते हैं। 7. बिक्री/नीलामी प्राधिकृत अधिकारी में द्वारा पृष्ठ के अधीन है। 8. अधोहस्ताक्षरी इस घोषणा में किसी गलती, गलत ब्याजबजी या चूक के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। 9. यह सूचना ऊपर दिए गए सभी कर्जदारों व गारंटों के लिए एक नोटिस भी है।

दिनांक : 19.11.2016  
स्थान: धर्मशाला  
प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक  
क्षेत्रीय कार्यालय, धर्मशाला